आवश्यक/समयबद्ध

संख्या-80/2024/1363531/12-2099/85/2021-918/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. पुलिस आयुक्त, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, कानपुर व वाराणसी।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 05 सितम्बर, 2024

विषयः फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया उपरोक्त शासनादेश संख्या-581/35-1-2018-05 (टी.सी.-5)/1, दिनांक 06 अगस्त 2018, शासनादेश संख्या-39/2019/2882/12-2-2019-14/ 2016, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या-42/2019/2997/12-2- 2019-14/ 2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019, शासनादेश संख्या-1633/12-2-2020-14/2016, दिनांक 13 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या-02/2020/1076/33-1-2020-3003/2017, दिनांक 02 जून, 2020, शासनादेश संख्या-2014/12-2- 2020-14/16 टी.सी., दिनांक 01 नवम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-1176/2021/1363531/12-2099/85/2021, दिनांक 09 जून, 2021, शासनादेश संख्या-79/2022/1445/1363531/12-2099/85/2021, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 एवं शासनादेश संख्या-64/2023/1363531/12-2099/85/2021, दिनांक 16 अगस्त, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के दृष्टिगत शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुये प्रत्येक दिन अनुश्रवण किये जाने की अपेक्षा की गयी है तथा निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक गाँव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी दशा में अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट न जलाये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे साथ ही कृषकों के मध्य पराली जलाने से मिट्टी, जलवायु एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि से अवगत कराने एवं जिन कृषकों द्वारा पराली जलाये जाने की घटना सामने आती है, उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. उल्लेखनीय है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13029/1985 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओरिजिनल अप्लीकेशन नं0-666/2018 श्रीमती गंगा लालवानी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे वायु प्रदूषण की रोकथाम किया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकतवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग ने भी पराली को जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. प्रदेश में आगामी माहों में खरीफ फसलों (धान, मक्का, उर्द आदि) तथा गन्ना की कटाई के पश्चात् पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

<u>1-इन-सीटू योजनान्तर्गत यंत्र वितरण:</u>

भारत सरकार द्वारा संचालित फसल अवशेष प्रबन्धन की योजना अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए हैपी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, रोटरी स्लैसर/श्रब मास्टर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टी लाइजर ड्रिल, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, काप रीपर, रीपर कम बाइण्डर एवं सुपर एस०एम०एस० यंत्र चिन्हित किये गये हैं। कृषकों को यह यंत्र उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत व्यवस्थायें बनायी गयी है:-

1.1-व्यक्तिगत कृषकों को कृषि यन्त्र तथा कृषक उत्पादक संघ (एफ०पी०ओ०) एवं ग्रामीण उद्यमी द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना।

1.1.1-व्यक्तिगत कृषकों को कृषि यन्त्र हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) एवं ग्रामीण उद्यमी को कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अनुदान पर यंत्र विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी एवं यंत्रों का चयन कर वितरण कराया जाये।

1.1.2-चयन की प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जानी है तथा 15 अक्टूबर, 2024 तक यंत्रों का कय सुनिश्चित किया जाना है। तदनुसार जनपद स्तर पर समीक्षा कर यंत्रों के क्रय का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाए।

1.1.3-इन क्रय किये गये यंत्रों को बाजार दर से 20 प्रतिशत कम किराये पर अपने कार्यक्षेत्र के कृषकों को फसल अवशेष प्रबन्धन कार्य हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

1.2- धान की कटाई के समय कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एस०एम०एस०) लगाये जायें अथवा कटाई के बाद फसल अवशेष प्रबन्धन के यंत्रों जैसे- हैपी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/बेडर/मल्चर, रोटरी स्लैसर/श्रब मास्टर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल का प्रयोग खेत में अवश्य किया जाए अथवा क्राप रीपर, रीपर कम बाइन्डर, रेक एवं बेलर का प्रयोग कर फसल अवशेष को अन्य कार्यों जैसे-पशु चारा, कम्पोस्ट खाद बनाने, बायो कोल,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

पैलेट्स यूनिट, बायो फ्यूल एवं सी०बी०जी० आदि में उपयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।

1.3-खेतों में फसल अवशेष को शीघ्रता से सड़ाने हेतु पानी भरकर यूरिया का छिड़काव भी किया जा सकता है. जिससे शीघ्रता से फसल अवशेष खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

1.4-फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु गत वर्षों में बायो डिकम्पोजर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है, जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। प्रदेश में इस वर्ष 7.50 लाख बायो डिकम्पोजर कृषकों को निःशुल्क वितरण किया जाना प्रस्तावित है। बायो डिकम्पोजर की एक बोतल/कैप्सूल/पाउडर पैक एक एकड़ क्षेत्रफल हेतु पर्याप्त होती है। इस वर्ष प्रयास कर इस कार्यक्रम को और गति दी जाए, जिससे कृषक अपने खेत में ही डिकम्पोजर के प्रयोग से शीघ्रता से फसल अवशेषों को सड़ाकर अपने खेतों में जीवांश पदार्थ में बृद्धि कर मृदा उर्वरता सुधार ला सकें। इससे फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं में कमी आयेगी।

<u>2-पराली का एक्स-सीटू प्रबन्धन:-</u>

2.1-गत वर्षों की भाँति कृषकों के खेत से पराली संग्रह कर निराश्रित गोवंश की गौशालाओं में लाने हेतु प्रेरित किया जाये। विशेषकर जिन कृषकों के खेत में फसल अवशेष जलाने की घटनायें गत वर्षों में सामने आयीं हों उन कृषकों के खेत पर सतत् दृष्टि रखी जाये तथा उनको पराली प्रबन्धन हेतु विशेष रूप से प्रेरित किया जाये तथा उनसे भी पराली संग्रह कर गौशालाओं में दान करायी जायें।

22-कृषकों के खेत से गौशाला स्थल तक पराली का ढुलान पंचायत राज अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1076/33-1-2020-3003/2017, दिनांक 02.06.2020 के प्रस्तर-2 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाय।

2.3-पराली में उपलब्ध सिलिका की मात्रा के दृष्टिगत गौशालाओं में चारे हेतु उपयोग में लाये जाने वाले चारे के कुल मात्रा का 25 प्रतिशत पराली को मिश्रित कर किया जाय।

2.4-पराली को गौशाला स्थल में पशुओं के विछावन या अन्य उपयोग में भी लाया जाय।

2.5-वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कम से कम 20 हजार मैट्रिक टन पराली निराश्रित गौशालाओं में भेजा जाय। गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के चारे हेतु पराली, चारा/भूसा बैंक के रूप में क्रियान्वित किया जाय।

2.6-गत वर्षों में "पराली दो-खाद लो" कार्यक्रम का संचालन कुछ जनपदों में सफलतापूर्वक संचालित किया गया इसे वृहद रूप से सभी जनपदों में स्थापित गौशालाओं में अनिवार्य रूप से चलाया जाय। गत वर्ष दो ट्राली पराली के बदले एक ट्राली खाद किसानों को उपलब्ध करायी गयी थी। प्रयास किया जाए कि गौशालाओं में भण्डारित खाद का सदुपयोग इस कार्यक्रम में पूरी तरह किया जाए जिससे किसानों को खाद प्राप्त होगी, गौशालाओं में चारे पर होने वाले व्यय भार में कमी आयेगी और किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी व फसल अवशेष प्रबंधन भली-भाँति सम्भव हो सकेगा।

2.7-शासन के पत्र संख्या-2014/12-2-2020-14/16 टी०सी०, दिनांक 01 नवम्बर, 2020 के क्रम में धान की पराली का इन-सीटू प्रबन्धन कर कृषकों के खेत में तथा सामुदायिक तौर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पर कम्पोस्ट बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए किसान के खेत में अधवा सामुदायिक स्थलों पर उचित क्षमता वाले कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान कराया जाना उचित होगा। कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान पराली/नरई/पताई को उखाड़ने, उनको उठाकर लाने व गड्ढे में डालने तथा अन्य सामग्री मद का बहन शतप्रतिशत मनरेगा से किया जा सकता है। गढ्ढे में पराली डालने के उपरान्त इस पर बायो डिकम्पोजर द्वारा तैयार कल्बर का छिड़काव किया जाये। यह छिड़काव गड्ढे में एकत्रित पराली पर 3-4 दिनों के अन्तराल पर कई बार किया जायेगा। इससे कम्पोस्ट खाद तैयार हो जायेगी तथा इस कम्पोस्ट खाद का प्रयोग गेहूं की फसल लेने के दौरान खेतों में किया जा सकता है। इससे निश्चित तौर पर गेहूँ की पैदावार में वृद्धि होगी तथा रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी। सामुदायिक परियोजनाओं में ट्रैक्टर ट्राली से पराली/नरई/पताई के दुलान का व्यय राज्य वित्त/14वाँ वित की धनराशि से अभिसरित करते हुए मनरेगा योजना से किया जा सकता है।

2.8-बायोडिकम्पोजर का उपयोग पराली/फसल अवशेष को कम्पोस्ट बनाकर कृषक के खेत में इन-सीटू प्रबन्धन कर तथा सामुदायिक तौर पर प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए किसान के खेत में अथवा सामुदायिक स्थलों पर उचित क्षमता वाले कम्पोस्ट खाद के गड्ढे का खुदान कराया जाना उचित होगा।

2.9-फसल अवशेष को संग्रहीत कर प्रदेश में स्थापित सी०बी०जी० प्लान्ट्स एवं अन्य जैव ऊर्जा उत्पादन इकाईयों को उपलब्ध कराकर कृषक अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एग्रीग्रेटर के रूप में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफ०पी०ओ०) को आवश्यक कृषि यन्त्रों पर 80 प्रतिशत की छूट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेजिड्यू योजनान्तर्गत देय है। जनपद स्तर पर एग्रीग्रेटर का चयन कर फसल अवशेष के एक्स-सीटू मैनेजमेन्ट को समय से सुनिश्चित कराया जाय।

<u>3-आई०ई०सी० के कार्य-</u>

कृषकों को जागरूक बनाने के लिए इन्फार्मेशन एजूकेशन कम्यूनिकेशन (आई०ई०सी०) एक्टिविटी तत्काल प्रारम्भ कर दी जाय एवं कृषकों से सम्बन्धित प्रत्येक विभाग की कार्यवाही का समावेश इनमे किया जाय। प्रत्येक उत्तरदायी विभाग जन सामान्य को जागरूक करने हेतु अपनी गतिविधियों को अगस्त एवं सितम्बर माह में इस प्रकार नियोजित करें कि खरीफ फसल की कटाई से पूर्व कृषकों में फसल अवशेष प्रबन्धन से लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार हो जाये, जिससे कि कृषक फसल अवशेष प्रबन्धन के उपायों को सफलतापूर्वक अपनाकर उचित फसल अवशेष प्रबन्धन कर सकें।

3.1- फसल अवशेष प्रबन्धन के इस अभियान में स्थानीय जन प्रतिनिधि यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान का सक्रिय सहयोग लिया जाये तथा विकासखण्ड स्तर पर ग्राम प्रधानों का सम्मेलन करके उन्हें प्रेरित किया जाये कि वे अपनी ग्राम पंचायत में इस अभियान का नेतृत्व करते हुये इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करायें तथा कृषकों को फसल अवशेष न जलाये जाने हेतु प्रेरित करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3.2-माह सितम्बर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की बैठकें करके ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी अपनी ग्राम पंचायत में ग्रामीणों व कृषकों को फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें। इसके लिए गाँव में रैली एवं प्रभात फेरी निकाली जाय। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायत में कूड़ा एवं फसल अवशेष जलाने की घटना न हो।

3.3-जनपद स्तर पर आयोजित किये जाने वाली गोष्ठियों को प्रारम्भ कर दिया जाय तथा फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, जलवायु व मानव स्वास्थ्य को होने वाले हानियों से अवगत कराया जाय।

3.4-प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में छात्रों की सभायें आयोजित करके "फसल अवशेष प्रबन्धन की आवश्यकता' विषय पर परिचर्चा एवं व्याख्यान दिया जाय तथा छात्रों में इस विषय पर निबन्ध एवं चित्रकला इत्यादि प्रतियोगिता आयोजित कराकर छात्रों को प्रेरित किया जाय। इसके लिए जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी बनाकर माह अगस्त एवं सितम्बर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। कृत कार्यवाही का अभिलेखीय संकलन उप कृषि निदेशक द्वारा करके मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

3.5-फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु जन-जागरूकता तथा कार्मिकों को दायित्व निर्वहन हेतु सजग रखने के लिए प्रत्येक शनिवार को आयोजित तहसील दिवस/सम्पूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम में उपस्थित कार्मिकों/अधिकारियों एवं अन्य जनों को फसल अवशेष प्रबन्धन कार्य हेतु प्रेरित करें एवं कार्मिकों द्वारा किये जा रहे प्रयास, कियान्वयन एवं कृत कार्यवाही की समीक्षा की जाये।

3.6-मुख्यालय स्तर पर राज्य स्तरीय गोष्ठी में कृषकों को फसल अवशेष जलाने से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। निकट भविष्य में आयोजित होने वाले मिलियिन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम तथा इन सीटू योजनान्तर्गत आयोजित न्याय पंचायत स्तर एवं जनपद स्तर के गोष्ठियों के माध्यम से भी कृषकों को पराली जलाने की घटना की रोकथाम एवं इससे हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में अवगत कराया जाय।

3.7-इस हेतु जनपद में स्थापित चीनी मिल एवं खण्डसारी इकाइयों के दायित्व भी निर्धारित किये जायें तथा सुनिश्चित किया जाये कि गन्ना कृषकों में फसल अवशेष प्रबन्धन कर प्रचार-प्रसार करके उन्हें प्रेरित किया जाये तथा गन्ना पत्ती के वैकल्पिक उपयोग हेतु उन्हें जागरूक करके गन्ना पत्ती जलाने की घटना शून्य स्तर पर लायी जाये। इस कार्य को जनपद स्तर पर सुनिश्चित कराने का दायित्व गन्ना विभाग का होगा।

3.8-कृषकों को यह भी अवगत कराया जाये कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार फसल अवशेष जलाया जाना एक दण्डनीय अपराध है। राजस्व विभाग के आदेश संख्या-1618/1-9-2017-10-9, दिनांक 13.11.2017 द्वारा पर्यावरण को हो रहे क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिये गये हैं। इसमें 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

एकड़ क्षेत्र के लिए रू0 5000/- और 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 15000/- तक पर्यावरण कम्पन्सेशन की वसूली के निर्देश है।

3.9-पराली जलाने की घटना पाये जाने पर सम्बन्धित को दण्डित करने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-1618/1-9-2017-00-9, दिनांक 13.11.2017 द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की धारा-24 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली एवं धारा-26 के अन्तर्गत उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि की कार्यवाही की जायेगी, से भी कृषकों को अवगत कराया जाय।

4-प्रवर्तन की कार्यवाही:-

4.1-राजस्व ग्राम के लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनायें बिल्कुल न होने दें अन्यथा उनके विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

4.2-विकास खण्ड स्तर पर इस अभियान हेतु खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये, जिसके सदस्य के रूप में क्षेत्र से सम्बन्धित नायब तहसीलदार सम्बन्धित विभागों के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) रखे जायें। इस समिति के सभी सदस्य समन्वय स्थापित करके विकासखण्ड में फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु कार्यवाहियों का कुशल संचालन सुनिश्चित करेंगे।

4.3-तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाये, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, उपसम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी और सम्बन्धित विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारी सदस्य बनाये जायें। जो तहसील क्षेत्र में फसल अवशेष प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों की सघन समीक्षा कर फसल अवशेष जलाये जाने सम्बन्धी घटनाओं को रोकने की रणनीति बनाकर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगी।

4.4-शासनादेश संख्या-581/35-1-2018-05, दिनांक 06.08.2018 द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के प्रवर्तन में गठित सचल दस्ते को भी फसल की कटाई के प्रारम्भ होने के पूर्व क्रियाशील कर दिया जाय। सचल दस्ते का यह दायित्व होगा कि फसल अवशेष जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

4.5-स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य सफाई कार्यक्रमों को संचालित कर रहे निकाय एवं विभाग सुनिश्चित करेंगे कि जैविक अवशेष कूडा किसी भी क्षेत्र में जलाया न जाये। इसके वैकल्पिक उपयोग यथा कम्पोस्ट इत्यादि का अनुप्रयोग करके कूड़ा जलाने की घटनायें शून्य स्तर पर रखे जाने हेतु अपने कार्मिकों के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4.6-समस्त थाना प्रभारियों को यथोचित समय पर निर्देश प्रसारित किये जायें कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा किसी भी दशा में फसल अवशेष को न जलने दें।

4.7-गन्ना की कटाई के दौरान गन्ने की पत्तियों को जलाये जाने की घटनायें भी प्रकाश में आती हैं इसके दृष्टिगत यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गन्ने की पत्तियों को न जलने दिया जाय। वायु गुणवत्ता नियन्त्रण आयोग (CAQM) द्वारा इस विषय को गम्भीरता से लेने के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

निर्देश दिये गये हैं। गन्ना कृषकों से गन्ना फसल अवशेष प्रबन्धन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व गन्ना विभाग का होगा। जिला गन्ना अधिकारी इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी होंगे। जिला गन्ना अधिकारी जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाये गये सेल के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

4.8-जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल पूर्व वर्षों की भाँति स्थापित किया जाय। उक्त सेल फसल की कटाई से रबी की बुवाई तक आवश्यक मानीटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

4.9-यह सुनिश्चित किया जाय कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि उक्त व्यवस्था बगैर कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाये।

4.10-यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में चलने वाली प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास विभाग का एक कर्मचारी नामित रहे जिसके द्वारा अपनी देख-रेख में कटाई कार्य कराया जायेगा। यदि कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर या अन्य फसल अवशेष प्रबन्धन यन्त्रों के बगैर चलते हुयी पायी जाय तो उसको तत्काल सीज करते हुये कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम लगवाकर ही छोड़ा जाय। इसके लिए जिलाधिकारी अपने स्तर पर जनपद के कृषि, पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारियों तथा कम्बाइन हार्वेस्टर स्वामियों के साथ बैठक करें और इसमें उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने की रूपरेखा निर्धारित कर अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

4.11-इस अवधि में नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा जलने की घटनाओं को रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाये जायें। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों के समस्त अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त को उत्तरदायी बनाकर नियमित समीक्षा जिलाधिकारी स्तर पर की जाय।

4.12-सेटेलाइट के माध्यम से जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने की घटना की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभाग के सम्बन्धित कर्मचारी एवं सम्बन्धित लेखपाल को तत्काल मौके पर भेजकर घटना का सत्यापन कराकर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा निर्धारित रूप पत्र पर सूचना तहसीलदार के माध्यम से जनपद के उप कृषि निदेशक व अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को उपलब्ध करायी जाये। सम्बन्धित उप कृषि निदेशक का दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित तहसीलदार से प्राप्त सूचना को उसी दिन कृषि अभियंत्रण अनुभाग, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश में स्थापित कंट्रोल रूम को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

4.13-जिलाधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि उनके जिले में फसल अवशेष/कूड़ा जलने की कोई घटना घटित न हो इसके लिए जनपद स्तर पर कार्ययोजना का समयबद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कियान्वयन समस्त विभागों से समन्वय कर सुनिश्चित करें। कृषि अपशिष्ट जलने की घटनायें पाये जाने पर मा० न्यायालयों के आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

संख्या-80/2024/1363531(1)/12-2099/85/2021-918/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अपने से सम्बन्धित विन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही कराने तथा अपने स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा करते हुए इसकी सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
4. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।